ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA
CFA Centre for Financial Accountability

न्यायोचित कराधान

धन असमानताः नक्शा और प्रवृत्ति

भारत में कई वर्षों से असमानता बढ़ती जा रही है। कुछ ऐतिहासिक कारकों और वर्तमान नीतियों के कारण उत्पन्न धन के इस संकेंद्रण पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो यह कई लोगों के जीवन को तबाह करता रहेगा।. एक न्यायपूर्ण कर प्रणाली इस असमानता को कम कर सकती है।यह विवरणिका आपको धन असमानता से जुड़े मुद्दों और भारतीय संदर्भ में इसके संभावित समाधानों के बारे में बताएगी।

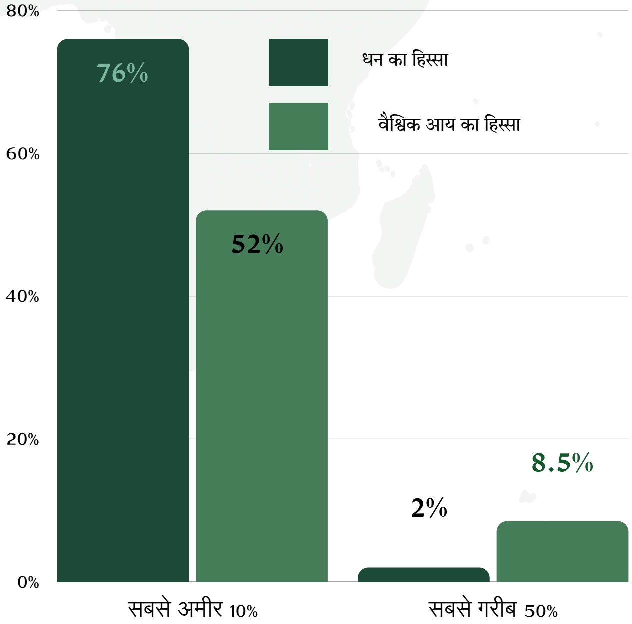

इन आबादियों के बीच धन का अंतर और भी गहरा है। भारत में निजी व्यक्तियों की कुल संपत्ति का 58% हिस्सा सबसे अमीर 1% के पास है!

कोरोना महामारी के बाद से, इस धन असमानता को दूर करने में विश्व स्तर पर रुचि बढ़ी है। कोलंबिया, बोलीविया, अर्जेंटीना और स्पेन ने संपत्ति कर लागू किया है और यहां तक कि अमेरिका और ब्रिटेन में कई समूहों ने भी इसकी वकालत की है। लेकिन इससे भारत की कर प्रणाली में ज़्यादा सुधार नहीं आया है।

भारत में धन असमानता का स्थायी नक्शा

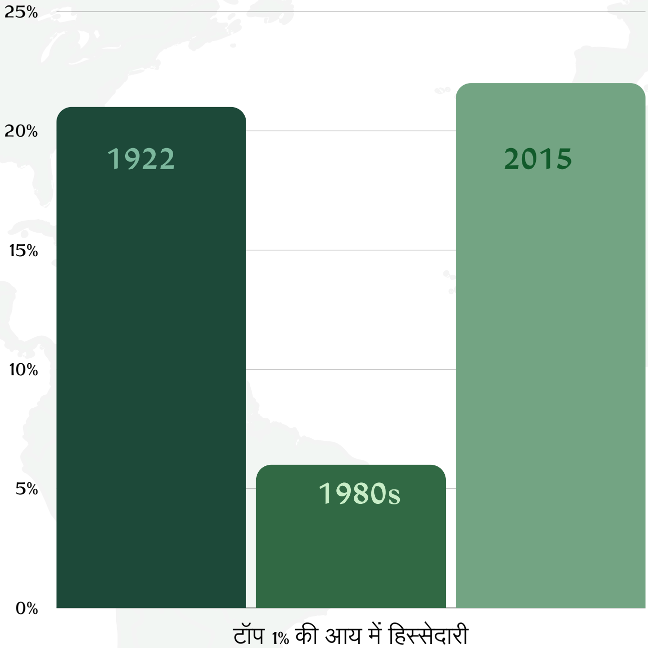

भारत में पिछले कई वर्षों से धन असमानता बनी हुई है। जैसा कि उपरोक्त ग्राफ से पता चलता है, टॉप 1% की आय हिस्सेदारी को कुछ नियंत्रण में लाया गया था, लेकिन 1980 के दशक से इसमें वृद्धि हो रही है।भारत अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या वाला देश है, जबकि दुनिया की 8% आबादी पूर्ण गरीबी में रहती है। यह इस बढ़ती असमानता का प्रमाण है।

महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के इस के-आकार के रिकवरी वक्र से पता चलता है कि उच्च आय वाले परिवारों ने अपनी आय को संरक्षित रखा है और बचत में वृद्धि की है, जबकि कम आय वाले परिवारों को नौकरी छूटने और वेतन में कटौती के कारण आय हानि का सामना करना पड़ा है।

यह बढ़ती असमानता कारों की बिक्री में वृद्धि और दोपहिया वाहनों की बिक्री में कमी से साबित होती है। कम आय वाले परिवार पिछड़ रहे हैं। यह प्रवृत्तियां धन असमानता को दूर करने और एक न्यायसंगत समाज का लक्ष्य रखने वाली नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

भारत में संपत्ति कर क्यों होना चाहिए? यह असमानता से कैसे निपट सकता है?

टॉप १ %

2017 में उत्पन्न संपत्ति का 73% सबसे अमीर 1% वर्ग के पास चला गया, जबकि 670 करोड़ भारतीयों - आबादी का सबसे गरीब हिस्सा - के संपत्ति में केवल 1% की वृद्धि देखी गई।

भारतीय आबादी के सबसे अमीर 10% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा है।

टॉप १० %

166
अरबपति

भारत में अरबपतियों की संख्या 1990 के दशक की शुरुआत में 1 से बढ़कर 2000 में 9 हो गई और 2022 में बढ़कर 166 हो गई।

उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में धन असमानता का स्तर काफी ज़्यादा है। यह कई कारणों के वजह से है :

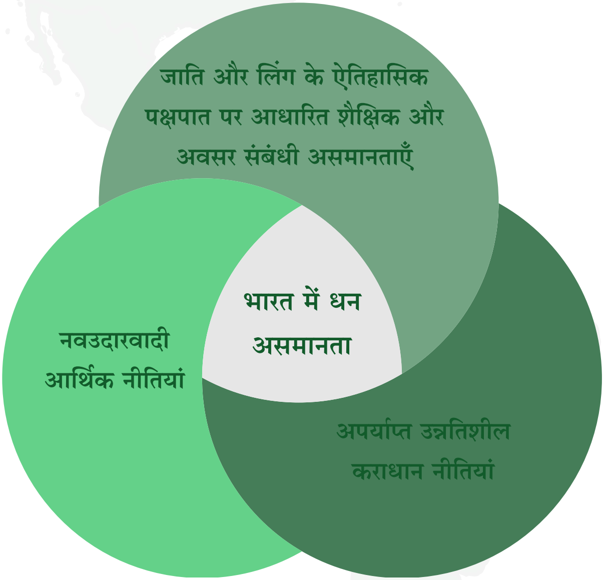

1957 के संपत्ति कर अधिनियम के कार्यान्वयन के बावजूद, समस्या का समाधान नहीं हुआ क्योंकि अधिनियम अपर्याप्त साबित हुआ और इसे 2015 में निरस्त कर दिया गया। इससे यह पता चलता है कि एक न्यायपूर्ण और संपोषणीय समाज के निर्माण के लिए भारत में एक व्यापक संपत्ति कराधान नीति की सख्त आवश्यकता है।

वैश्विक स्तर पर धन संचय और कर प्रणाली का संक्षिप्त इतिहास

संपत्ति कर के पीछे आर्थिक सिद्धांत

थॉमस पिकेटी के अनुसार धन असमानता का स्तर आर्थिक विकास दर के सापेक्ष पूंजी पर वापसी की दर से निर्धारित होता है। जब पूंजी पर रिटर्न की दर आर्थिक विकास दर से अधिक होती है, तो धन असमानता बढ़ जाती है, क्योंकि जिनके पास पूंजी होती है वे आर्थिक हिस्से का बड़ा हिस्सा अर्जित करते हैं।

20वीं सदी की शुरुआत में

प्रथम विश्व युद्ध से पहले धन असमानता अब तक के उच्चतम स्तर पर थी। यूरोपीय आबादी के 10% लोगों के पास लगभग 90% संपत्ति थी।

20वीं सदी के बीच में

प्रगतिशील कराधान, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, आर्थिक विकास और श्रम अधिकारों जैसे कारकों के कारण 20वीं सदी के बीच तक धन असमानता थोड़ी कम हुई।

1980 के दशक के बाद

वैश्वीकरण, निजीकरण, नवउदारवादी सुधार, श्रम अधिकारों में कमी और प्रगतिशील कराधान में गिरावट जैसे कारकों के कारण 1980 के दशक से धन असमानता फिर से बढ़ रही है।

धन पर कर क्यों लगाया जाना चाहिए?

संविधान के अनुरूप धन असमानता को कम करने और धन का संकेंद्रण करने के लिए .

भारत में संपत्ति कर का प्रशासन करना, राजस्व उत्पन्न करना और उपेक्षित लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं में निवेश करना आसान हो जाएगा

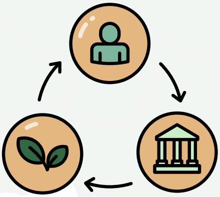

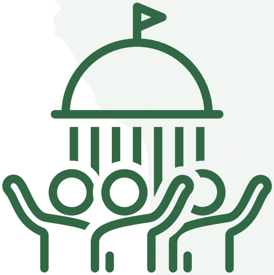

धनवान व्यक्तियों और कॉर्पोरेशनों का अक्सर राजनैतिक मामलों में असंगत प्रभाव होता है। संपत्ति कर खेल के मैदान को समतल करने और राजनीति में धन के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है।

यह सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने में मदद करता है, क्योंकि भारत में धन संकेंद्रण ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के आगे बढ़ने में बाधा डालता है

धन पर कर लगाने के बारे में गलत धारणाएं और इन धारणाओं का प्रतिकार

धारणा	वास्तविकता/ सच्चाई
अमीरों पर कर लगाने से निवेश का माहौल प्रभावित होता है और धन का सृजन हतोत्साहित होता है	अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि केवल बाज़ार के विस्तार से ही निवेश माहौल में सुधार होता है। निवेश को हतोत्साहित करने की बात तो दूर, बढ़ा हुआ सार्वजनिक खर्च और ऊंची मांग असल में अर्थव्यवस्था को नीचे से बढ़ावा दे सकती है।
अमीरों पर कर लगाने से उनकी लाभप्रदता कम हो जाती है	एक निश्चित राशि से मुनाफे पर कर लगाने और ठीक उसी राशि के सार्वजनिक व्यय से में मांग बढ़ती है और इसलिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ता है। लेकिन राजकोषीय घाटे पर नवउदारवादी सोच का मतलब है कि कोई भी सरकार खर्च नहीं करना चाहती।
अमीरों पर कर लगाना विकास के लिए बुरा है	थॉमस पिकेटी के अनुसार, अमेरिका और यूरोप में सबसे अधिक वृद्धि तब देखी गई जब कर अपने चरम पर थे (1940 और 1980 के बीच)। असल में कर कटौती के साथ-साथ पहले की तुलना में विकास दर में कमी आई है और इससे केवल धन के संकेंद्रण को बढ़ावा मिला है
संपत्ति पर कर लगाना मुश्किल है क्योंकि इसे रियल एस्टेट, स्टॉक आदि जैसे विभिन्न रूपों में निवेश किया जाता है। 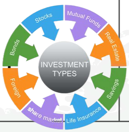	आज, ज़्यादातर अमीरों के पास अचल संपत्ति और जमीन के बजाय वित्तीय संपत्ति है। यह सभी प्रकार की संपत्तियों और धन को शामिल करने के लिए प्रगतिशील कराधान की धारणा को व्यापक बनाता है, जो उचित और अनिवार्य है।

असमानता और जलवायु संकट कैसे जुड़े हुए हैं?

आज के समय में जब दुनिया जलवायु संकट के मंडराते खतरे से जूझ रही है, हमें इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए कि यह असमानता के साथ जुड़ा हुआ है। दुनिया के सबसे अमीर 1% लोग सबसे गरीब 50% लोगों के दोगुने से भी अधिक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं।

यह ग्राफ दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन में अमीरों का योगदान सबसे अधिक है। इसके बावजूद इसके प्रभाव गरीबों को ज़्यादा भुगतने पड़ते है।

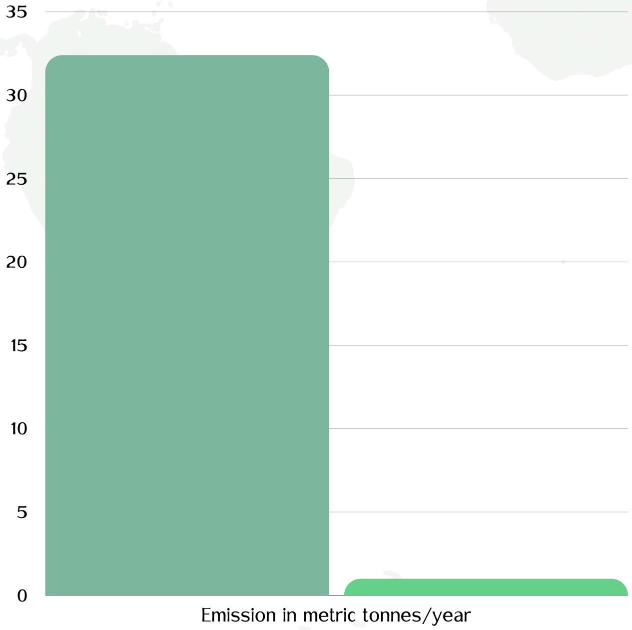

शोध से पता चलता है कि गरीबों के लिए विकास में निवेश करने से अमीरों के लिए धन बढ़ाने पर केंद्रित नीतियों की तुलना में कम कार्बन फुटप्रिंट होता है।

धन कर को लागू करने से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने, उत्सर्जन में कमी और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए उत्पन्न राजस्व का उपयोग करके जलवायु न्याय में योगदान दिया जा सकता है।

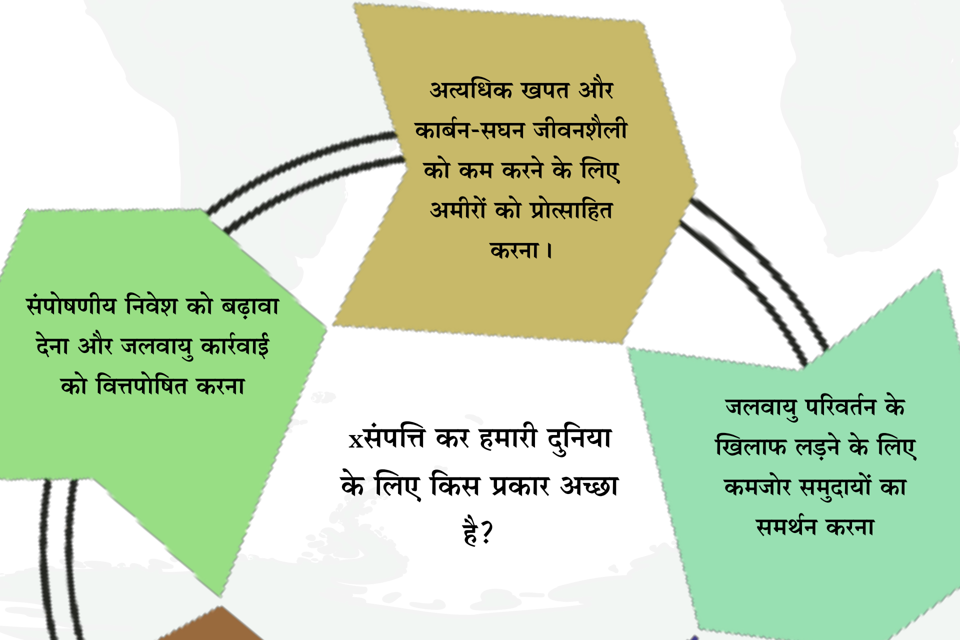

उन्नतिशील कर प्रणाली के लिए आगे का रास्ता

भारत में धन असमानता से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है:

नीति आधारित समाधान

- विरासत में मिली संपत्ति और उपहारों पर कर के साथ-साथ अमीरों पर एक नया संपत्ति कर लागू करना
- सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाना
- हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शिक्षा और अन्य अवसरों तक बेहतर पहुंच प्रदान करना
- बड़े कॉर्पोरेशन पर नियामक निगरानी को मजबूत करना

सामाजिक परिवर्तन

- राजनीतिक विकल्पों और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में बदलाव
- पुनर्वितरण नीतियों को सामाजिक कल्याण में निवेश के रूप में पुनः परिभाषित करना जिससे सभी को लाभ हो

यह प्रकाशन फेडरेल मिनिस्ट्री फॉर इकनोमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट ऑफ़ फ़ेडरल रिपब्लिक ऑफ़ जर्मनी के सहयोग से रोज़ा लक्ज़मबर्ग फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है। इस प्रकाशन का या इसके कुछ हिस्सों का उपयोग मूल प्रकाशन का उचित संदर्भ देकर मुफ्त में किया जा सकता है।

प्रकाशन की सामग्री पूरी तरह से भागीदार की जिम्मेदारी है और जरूरी नहीं कि यह आरएलएस के विचार को प्रतिबिंबित करे।

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA

CFA
Centre for Financial Accountability